

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000552014

दांडिक प्रकरण क.-122/2014

संस्थापित दिनांक-04.03.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरुद्ध	
01-वालचंद पुत्र रामकिशन अहिरवार आयु 45 वर्ष 02-शीलचंद पुत्र वालचंद अहिरवार आयु 20 वर्ष 03-वृजेश पुत्र वालचंद अहिरवार आयु 18 वर्ष 04-मानक उर्फ मानकदास अहिरवार आयु 42 वर्ष निवासीगण प्राणपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री ए के चौवे अधिवक्ता।	

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 30.01.2018 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341,294,323,506/34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी हरगोविंद ने दिनांक 17.01.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 17.01.14 ग्राम प्राणपुरा, बड़ापुरा में लगभग 08:00 बजे आरोपीगण ने कुल्हाड़ी से मारपीट की जिससे चोटें आई तथा बुरी-बुरी गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 28/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 294, 323, 506/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324/34, 323, 323/34, 341, 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.01.14 को समय रात 08:00 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ग्राम प्राणपुरा, बड़ापुरा स्थित लोक स्थल पर मां-वहिन की गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित किये, जिससे परिवादी तथा अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर अन्य अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहतगण को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/ आहतगण को कुल्हाड़ी जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहति

कारित की ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर परिवादी/आहतगण को स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विकल्प

क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहतगण को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण ` परिवादी/आहतगण को स्वेच्छया उपहति कारित की ?

4. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर परिवादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध किया ?
5. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 हरगोविद, अ.सा.2 अजय, अ.सा.3 बृजेन्द्र, अ.सा.4 रेनुका, अ.सा.5 भवरलाल, अ.सा.6 रामनिवास,, अ.सा.7 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा.8 तेजसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से बचाव साक्षी शीलचंद की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 हरगोविद ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी शीलचंद ने फोन लगाया और गाली गलोच कर रहा था। अ.सा.1 के अनुसार आरोपीगण उसके घर पर आ गये थे तथा घर में घसकर लाठी और फर्से से मारपीट की थी। अ.सा.2 अजय

ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी शीलचंद ने फोन करके गाली गलोच की थी तथा उसके पिताजी के साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार जब वह मौके पर जा रहा था तब रास्ते में पता चला था कि आरोपीगण उसके पिताजी के साथ मारपीट कर रहे हैं। अ.सा.3 बृजेन्द्र ने अपने कथन में बताया है कि घटना प्राणपुर में हरगोविंद के घर की है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने हरगोविंद के साथ मारपीट की थी।

08— अ.सा.4 रेनुकाबाई ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने उसके पति हरगोविंद के साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने कुल्हाड़ी, फर्से आदि से मारपीट की थी। अ.सा.6 रामनिवास ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को चारों आरोपीगण ने हरगोविंद के साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने लाठी, फर्सा आदि लिये हुए थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण गालियां दे रहे थे।

09— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्ष्य जो अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि उपरोक्त साक्षीगण ने अपने कथनों में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी हरगोविंद के साथ मारपीट की थी। अ.सा.7 डॉ एस पी सिद्धार्थ ने अपने कथन में बताया है कि उक्त दिनांक को उनके द्वारा आहत अजय का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर दो चोटें पाई थी। उक्त परीक्षण की रिपोर्ट प्र0पी04 है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट अनुसार आहत को साधारण चोटें आई थी जो शक्ति एवं भौतरी वस्तु से पहुंचाई गई थी। अ.सा.7 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आहत रामनिवास का मेडिकल परीक्षण किया गया था उसकी रिपोर्ट प्र0पी05 है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आहत रामनिवास को आई चोट साधारण प्रकृति की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही आहत हरगोविंद का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी06 है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आहत के शरीर पर छह छोटे पाई थी जो शक्ति एवं भौतरी वस्तु से पहुंचाई

गई थी। इस प्रकार अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा.7 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आहत हरगोविंद को चोटें आई थी। आहत हरगोविंद के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट की गई थी इस संबंध में अ.सा.1 आहत हरगोविंद ने स्वयं अपने कथन में बताया है। उक्त तथ्य का अनुसर्तन अ.सा.2, अ.सा.3, अ.सा.4 एवं अ.सा. 6 की साक्ष्य से हो रहा है। इस प्रकार यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी हरगोविंद के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

10— अ.सा.1 ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी शीलचंद ने फोन पर गाली गलोंच की थी किंतु उक्त साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि सभी आरोपीगण ने गाली गलोच की थी। ऐसा ही कथन अ.सा.2 ने भी किया है। उल्लेखनीय है कि फोन पर गाली गलोच के संबंध में अभियोजन द्वारा फरियादी एवं आरोपी के कॉल डिटेल रिकार्ड को न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रमाणित कराया गया है। उल्लेखनीय है कि ऐसा किया जाना इसलिये आवश्यक था क्योंकि फरियादी के अनुसार आरोपी शीलचंद ने उसे फोन पर गाली दी थी। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में फरियादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01 में भी उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा दिये गये धारा 161 दप्रस के कथनों से भी विपरीत कथन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिया है। उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी ने अपने कथनों में बताया है कि उसने मोबाइल नंबर नहीं दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार मोबाइल पर उसे यह नहीं बताया गया था कि कोन बात कर रहा है और कहां से बात कर रहा है। इसी प्रकार अ.सा.2 के अनुसार उसे शीलचंद का मोबाइल नंबर नहीं पता। इस प्रकार न तो फरियादी और न ही अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ गाली गलोच की गई थी।

11— अ.सा.5 भवरलाल पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे

जानकारी नहीं है कि किसने किसके साथ मारपीट की थी। अ.सा.5 के अनुसार घटना के समय वह अपने घर पर बुनाई का काम कर रहा था। अ.सा.8 तेजसिंह जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया गया था तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में झूठी विवेचना की है। प्रकरण में न तो परिवादी और न ही किसी अन्य साक्षी ने यह कथन किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा परिवादी का रास्ता रोका गया। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने परिवादी का रास्ता रोका। परिवादी तथा अन्य किसी साक्षी ने यह भी कथन नहीं दिया है कि आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। प्रकरण में अभियोजन द्वारा कोई कुल्हाड़ी आदि जप्त नहीं की गई है। अ.सा.7 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि आहत हरगोविंद को कोई कटा हुआ घाव आया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि आहत हरगोविंद को धारदार हथियार से चोट आई। उक्त साक्षी के अनुसार आहत हरगोविंद को आई चोटें धारदार हथियार से नहीं आ सकती। इस प्रकार अ.सा.7 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने कुल्हाड़ी जैसे काटने वाले उपकरण से परिवादी की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

12— प्रकरण में आरोपीगण की ओर से बचाव साक्ष्य शीलचंद जो कि स्वयं आरोपी है की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। उक्त साक्षी के अनुसार परिवादी पक्ष ने उसके साथ मारपीट कर गालियां दी थी। उल्लेखनीय है कि यदि मान भी लिया जाए कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट कर गालियां दी थी तो भी इससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा परिवादी के साथ मारपीट नहीं की गई। इस प्रकार वा.सा.1 की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

13— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ गाली गलोच की गई। अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया गया। अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई एवं यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से फरियादी को मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की गई। अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी हरगोविंद के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 324/34, 341 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण को भादवि की धारा 323/34 के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध किया जाता है।

14— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:—

15— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चौवे का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः

उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध द्वारा कारित किया गया है। फरियादी को शरीर पर छह चोटें आई है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

16— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा हिंसा कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण नवयुवक है तथा कुछ आरोपीगण नौकरी पेशा है। उनका निवेदन है कि यदि आरोपीगण को कारागार के दंड से दंडित किया गया तो उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आरोपीगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड संलग्न नहीं है। आरोपीगण में से दो आरोपी युवा है तथा उनका संपूर्ण भविष्य अभि शेष है। यदि आरोपीगण को कारागार के दंडादेश दंडित किया गया तो निश्चितरूप से उसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल आरोपीगण की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगा बल्कि आरोपीगण के संपूर्ण भविष्य को अंधकार में डाल देगा। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 323/34 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000—1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 03—03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को

क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

17— आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

19— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)